

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनवार्ता, तरुणमित्र न्यूज, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि 25.09.2025

स्कूल के नक्शे को वीडोए ने 72 घंटे में दी स्वीकृति
वाराणसी। वीडोए की ओर से 72 घंटे में राज इंटरनेशनल स्कूल के नक्शे को स्वीकृति दी गई। 2160 बच्चों की क्षमता वाला स्कूल पिंडारा के कोलअसला में खुलेगा। राज फाउंडेशन के ट्रस्टी राजदेव सिंह ने 13881.4 वर्ग मीटर के भूखंड पर स्कूल का मानचित्र पेश किया। जिसे वीडोए ने मात्र 72 घंटे में स्वीकृति प्रदान की। तीन तलों का 54 क्लास रूम का प्रस्तावित है। 86 कार पार्किंग, 18 स्कूल बस की पार्किंग होगी। ब्यूरो

अमर उजाला—दि 25.09.2025

आवंटित दुकानें सील, वीडोए ने 15 दिन का दिया मौका

वाराणसी। वीडोए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने संपत्ति अनुभाग की समीक्षा में कार्रवाई की। पहड़िया के गौतमबुद्ध नगर आवासीय योजना के दुकान नंबर-02 निरहु राम के नाम से किराये पर आवंटित की गई है। जिसका मासिक किराया 6150 रुपये है। आवंटि ने कई वर्षों से किराया जमा नहीं किया है। सितंबर तक उनका 4,27,350 का बकाया हो गया है। आवंटि को छह बार नोटिस भेजा गया।

सचिव ने निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदार जो लंबे समय से बकाया धनराशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 8-10 दुकानों की पहचान की गई है। उधर, वीडोए के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा की। अधिकारियों से कहा कि सील प्रकरणों की जांच करें। बेसमेंट खाली करवा

कई जगहों पर हुई सील की कार्रवाई

वाराणसी। वीडोए की ओर से बुधवार को दशाश्वमेध वार्ड में तीन अवैध निर्माण सील किए गए। रामपुरा में मोवीन अहमद, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद मुसलीन की ओर से 100 वर्गमीटर में आवासीय निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के कराया गया, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। हौज कटोरा में शिव सेठ, नरेश सरीन की ओर से 80 वर्गमीटर में व्यवसायिक निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया, जिसे सील किया गया। रामकुंड में विनय कुमार सेठ की ओर से 120 वर्गमीटर में आवासीय निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के कराया गया। जिसे सील किया गया। शिवपुर वार्ड के भरलाई क्षेत्र के सुशील सिंह ने स्वीकृत मानचित्र को सेटबैक में परिवर्तित किया। निर्माण कार्य कराने से पहले पूर्व शमन मानचित्र दाखिल किया गया। चार तल का निर्माण कार्य पूरा कराया गया। इस अवैध निर्माण को वीडोए ने सील कराया। ब्यूरो

कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। जोन-वन के वॉर्ड शिवपुर, सिकरौल में शमन शुल्क के मद में धनराशि 18,56,846 जमा कराई गई। 2025-26 में कुल शमन धनराशि 4,01,31,418 जमा की गई।

जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में शमन शुल्क के मद में 7,41,211 रुपये जमा कराए गए। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के निर्देश जोनल अधिकारियों को दिए। ब्यूरो

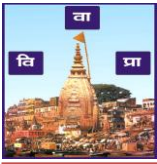
अमर उजाला—दि 25.09.2025

किराया जमा न करने पर खाली करनी होंगी दुकानें

वाराणसी। वीडोए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने बुधवार को संपत्ति अनुभाग की समीक्षा की। जो किरायेदार लंबे समय से किराया नहीं जमा कर रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं, जो सिकमी किरायेदार हैं।

इनकी दुकानों को खाली कराकर फिर से अधिग्रहण किया जाए। नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए। निर्देश दिया कि जिन आवंटियों ने पूरी धनराशि जमा कर दी है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जिन आवंटियों ने धनराशि जमा नहीं की उन्हें नोटिस जारी कर जल्द भुगतान कराएं। जिन आवंटियों की किस्त जमा करने की तिथि पास है। पहले सूचना देते हुए नोटिस जारी किया जाए, ताकि वे समयबद्ध रूप से भुगतान कर सकें। जिन्होंने भुगतान नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी करें। ब्यूरो





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

दैनिक जागरण—दि० 25.09.2025

चार अवैध निर्माण पर की कार्रवाई

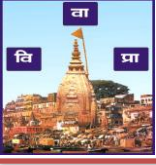
जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुधवार को विभिन्न जोन में कार्रवाई की। मौजा-भरलाई में सुशील सिंह नामक व्यक्ति नोटिस के बावजूद पांच तल का निर्माण करा रहा था। निर्माण को सील किया गया। इसमें जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार आदि शामिल रहे। इसी प्रकार वार्ड-दशाश्वमेध के प्रवर्तन टीम ने निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति, अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश आदि रहे। जोन तीन में मोवीन अहमद, मो. हाफिज, मो. मुर्सलीन के रामापुरा, वार्ड-दशाश्वमेध, में लगभग 100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य करा रहे थे। अवैध निर्माण को सील किया गया। शिव सेठ व नरेश सरीन हौजकटोरा, वार्ड-दशाश्वमेध में 80 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में पांच तल का व्यावसायिक निर्माण बिना नक्शा पास कराए करा रहे थे जिसे सील कर दिया गया। विनय कुमार सेठ रामकुंड, लक्सा में निर्माण को सील कर दिया गया।

दैनिक जागरण—दि० 25.09.2025

'संत कबीर मठ म्यूरल' बना बनारस का नया सेल्फी-पाइंट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ने कबीर मठ, कबीरचौरा में एक अनूठी सार्वजनिक कलाकृति 'कबीर मठ म्यूरल' का कार्य कराया है। यह बनारस का नया सेल्फी पाइंट बन गया है। यह कार्य कबीर मठ प्रशासन के अनुरोध एवं सहमति पर प्रारंभ किया गया है। म्यूरल को कर्व एवं कलर्स के संस्थापक अभिषेक कुमार सिंह पब्लिक आर्ट क्यूरेटर द्वारा बनाया गया है। उन्होंने इस परियोजना को दीवारों रंगने की बजाय संवाद करने की तरह गढ़ा है। यह संत कबीर की शाश्वत शिक्षाओं और उनके जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करता है। इस कार्य में मुख्य कलाकार सुप्रसिद्ध भारतीय स्ट्रीट आर्टिस्ट ऋषिराज चक्रवर्ती आदि हैं। यह म्यूरल न केवल संत कबीर की विरासत को जीवंत बनाता है बल्कि सादगी, सामंजस्य और एकता ही जीवन का वास्तविक सत्य का संदेश भी देता है।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

हिन्दुस्तान-दि० 25.09.2025

रामापुरा, हौजकटोरा और रामकुंड में अवैध भवन सील

वाराणसी। वीडोए और प्रवर्तन दल ने बुधवार को जोन-3 में अवैध तरीके से बन रहे भवनों को सील किया। जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति और जेई रवींद्र प्रकाश ने बताया किया रामापुरा में आवासीय निर्माण बिना स्वीकृति मानचित्र के किये जाने पर सील किया गया। इसी तरह हौज कटोरा में व्यावसायिक निर्माण बिना भी सील किया गया।

वहीं, रामकुंड में 120 वर्गमीटर में हो रहा निर्माण सील किया गया। उधर वीडोए उपाध्यक्ष के निर्देश पर शिवपुर वार्ड में अवैध निर्माण पर भवन सील किया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और जेई रोहित कुमार ने बताया कि स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पर नोटिस दिया गया था। काम रोकने की जगह चोरी छिपे एक तल और बनवा दिया गया।

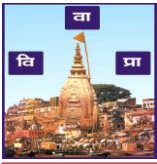
हिन्दुस्तान-दि० 25.09.2025

सारनाथ में हटाई गई अवैध दुकानें

सारनाथ। सारनाथ के पुरावशेषों के निरीक्षण को यूनेस्को की तकनीकी टीम के भ्रमण के मद्देनजर बुधवार को नगर निगम एवं वीडोए ने वहां अतिक्रमण हटवाए और सफाई कराई। अतिक्रमण एवं गंदगी करने वालों को चालान करने की चेतावनी भी दी।

उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सारनाथ के पुरावशेषों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञ 26 सितंबर को आने वाले हैं। इसके मद्देनजर सारनाथ के जोनल अधिकारी पवन गुप्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन दल पहुंचा। उनके साथ वीडोएकर्म भी थे। उन्होंने चौखंडी स्तूप के पास और संग्रहालय से मुख्य चौराहा तक लगी दुकानें हटवाईं।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि 25.09.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने ट्रांसपोर्ट नगर योजना का किया स्थलीय निरीक्षण

वाराणसी । विकास प्राधिकरण द्वारा सुनील कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार प्रभाकर पाण्डेय, योजना सलाहकार, संचार अली अंसारी, राजस्व निरीक्षक के साथ ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित ग्राम-करनाडाडी, ग्राम-सरायमोहन, परगना-कसरवार सरकारी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:- ट्रांसपोर्ट नगर में एन.एच.-2 एवं रेलवे लाईन के मध्य स्थित ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ग्राम-करनाडाडी स्थित भू-भाग पर सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में तहसीलदार, वाराणसी विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि यह परीक्षण कर ले कि आर0ओ0बी0 प्रारम्भ होने से पूर्व सर्विस लेन से योजना में प्रवेश हेतु किन आराजियों को लिये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार रेलवे लाईन के बगल से योजना

में सम्पर्कित होने वाले आराजियों को चिन्हित कर उन आराजियों को प्राप्त करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की



जाय, जिससे उक्त खण्ड को विकसित करते हुए सर्कुलेशन प्लान तैयार किया जा सके। आर्किटेक्ट श्री गोविन्द श्रीवास्तव को निर्देशित किया गया कि उक्त स्थल को आराजीवार सुपरइंपोज करते हुए एक सर्कुलेशन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। पंचायत भवन

बैरवन को लहरतारा-मोहनसराय 6-लेन मार्ग पर सम्पर्कित किये जाने हेतु ग्राम प्रधान, बैरवन के साथ

तहसीलदार, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया गया तथा निर्देशित किया गया कि प्राथमिकता पर अप्रोच मार्ग हेतु चिन्हित भूमि को अलग कर दिया जाय,

जिससे पंचायत भवन हेतु सुगम मार्ग उपलब्ध हो जाय। ग्राम-बैरवन स्थित ग्रुप हाउसिंग हेतु आर्वाइट ई-5 एवं ई-7 की प्री-कास्ट बाउण्ड्री के निर्माण की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्राथमिकता पर उक्त कार्य पूर्ण कराने के निर्देश संजय तिवारी, अवर

अभियन्ता, वाराणसी विकास प्राधिकरण को दिये गये। लहरतारा-मोहनसराय 6-लेन मार्ग पर स्थित प्राधिकरण की अध्यास आराजी नं0 23, 24 एवं 25 ग्राम-करनाडाडी को चिन्हित कर प्री-कास्ट बाउण्ड्री के निर्माण कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के साथ ही 6-लेन मार्ग एवं प्राधिकरण भूमि के बीच में निर्मित भवन को चिन्हाने किये जाने के निर्देश दिये गये। रेलवे अण्डर पास के द्वारा सम्पर्कित करने हेतु परीक्षण आख्या प्रस्तुत करने हेतु श्री गोविन्द श्रीवास्तव, आर्किटेक्ट को निर्देशित किया गया। रेलवे आर0ओ0बी0 के साथ सर्विस लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में एन0एच विभाग से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रभारी अधिकारी (अवासि) को निर्देशित किया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स-दि 25.09.2025

जोन-01 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वार्ड-शिवपुर, मौजा-भरलाई, क्षेत्रान्तर्गत सुशील सिंह द्वारा जी+2 तल स्वीकृत मानचित्र के सेटबैक में



विचलन करते हुए निर्माण कार्य किये जाने पर पत्र में शायद मानचित्र दर्जित

अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुए पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया

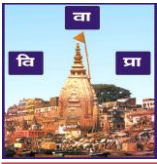
गया था। परन्तु पक्ष द्वारा निर्माण कार्य जारी रखते हुए जी+4 तलों का कार्य करा लिया गया जिसे आज दिनांक 24/09/2025 को सील किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा अवर अभियन्ता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अज्ञान जन मानस से अपील की गयी

है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने बिना किसी भी



: vcvdavns f: Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जनवार्ता—दि० 25.09.2025

काशी में कबीर मठ म्यूरल ने खींचा पर्यटकों का ध्यान

वाराणसी (जनवार्ता)। विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने कबीर चौरा स्थित कबीर मठ में कबीर मठ म्यूरल तैयार कराया है। संत कबीर की वाणी और जीवन दर्शन पर आधारित यह भित्तिचित्र अब शहर का नया सेल्फी-पॉइंट बन गया है।

पुरस्कार विजेता पब्लिक आर्ट क्यूरेटर अभिषेक कुमार सिंह की परिकल्पना पर सुप्रसिद्ध स्ट्रीट आर्टिस्ट ऋषिराज बोंग यूएफओ चक्रवर्ती ने इसे सहायक कलाकारों के साथ तैयार किया। इसमें कबीर की साधना, भजन, उपदेश और सादगीपूर्ण जीवन को उनके दोहों सहित उकेरा गया है।

वीडीए का कहना है कि इस पहल से सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के साथ-साथ वाराणसी को इंडियाज लिविंग कैनवासे के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में नया कदम उठाया गया है।



तरुणमित्र न्यूज—दि० 25.09.2025

वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश ने संपत्ति विभाग की समीक्षा बैठक में दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में संपत्ति अनुभाग की समीक्षा बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस दौरान सचिव द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं संपत्ति संबंधी विषयों पर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

जिनमें जिन आवंटियों द्वारा पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराई जाए तथा जिन आवंटियों द्वारा अभी तक धनराशि जमा नहीं की गई है, उन्हें नोटिस जारी करते हुए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। जिन आवंटियों की किस्त/धनराशि जमा करने की तिथि निकट है, उन्हें पूर्व सूचना देते हुए नोटिस जारी किया जाए, ताकि वे समयबद्ध रूप से भुगतान कर सकें। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि जो किरायेदार लंबे समय से किराया नहीं जमा कर रहे हैं, जिनकी दुकानें बंद हैं



वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए

अथवा जो सिकमी किरायेदार हैं, ऐसे मामलों में संबंधित दुकानों को खाली कराकर प्राधिकरण द्वारा उनका पुनः अधिग्रहण किया जाए एवं नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, उन्हें शीघ्र नोटिस जारी करते हुए भुगतान के लिए सूचित किया जाए। अन्यथा स्थिति में उनके आवंटन को

निरस्त कर दिया जाएगा। जिन दुकानों का लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ है तथा बार-बार नोटिस देने के बाद भी धनराशि जमा नहीं की गई, उन्हें तत्काल सील करने के निर्देश दिए गए। बैठक में संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे एवं पटल सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



